"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2009—भाद्र 24, शक 1931

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-26/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिक निगम कोरबा, जिला-कोरबा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	05	मोतीसागर पारा वार्ड
		18	नेहरू नगर वार्ड
		32	परसाभांठा क्रमांक-2 वार्ड
		48	भैरोताल वार्ड
		50	गजरा वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	44	दर्रीखार वार्ड
		49	घुड़देवा वार्ड
		52	कीमोंगरा क्रमांक-2 वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	06	भिलाई खुर्द/इमलीडुग्गू वार्ड
		39	अयोध्यापुरी वार्ड
		43	सरदार वल्लभभाई पटेल नगर वार्ड
		46	बलगीखार वार्ड
		54	प्रेमनगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	25	रामपुर वार्ड
		33	लालघाट वार्ड
		40	जमनीपाली वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	रामसागर पारा वार्ड
		07	शारदा विहार वार्ड
		09	परिवहन नगर वार्ड
		10	पंप हाउस वार्ड
		22	मानिकपुर वार्ड
		29	बालकोनगर क्रमांक-2 वार्ड
		37	हसदेव क्रमांक-3 वार्ड
		42	शक्तिनगर-2 वार्ड
		51	बांकीमोंगरा-1 वार्ड
		57	गेवरा क्रमांक-1 वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	03	देवांगन पारा वार्ड
		04	पुरानी बस्ती वार्ड
		15	कांशीनगर वार्ड
		23	खरमोरा वार्ड
		58	गेवरा-2 वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	साकेत नगर वार्ड
		08	नई बस्ती वार्ड
		13	छ.रा.वि.मं.-2 वार्ड
		21	डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड
		26	पाड़ीमार क्रमांक-1 वार्ड
		28	बालकोनगर क्रमांक-1 वार्ड
		35	हसदेव क्रमांक-1 वार्ड
		38	हसदेव क्रमांक-4 वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-26/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Corporation Korba, Distt. Korba is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of

1961), as follows :--

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	05	Motisagar Para Ward
		[illegible]	Nehru Nagar Ward
		32	Parasbhata-2 Ward
		48	Bhairotal Ward
		50	Gazara Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	44	Darrikhar Ward
		49	Ghurdewa Ward
		52	Bankimongra -2 Ward
3.	Scheduled Tribes	06	Bhilai Khurd/Imliduggu Ward
		39	Ayodhyapuri Ward
		43	Sr. Vallabh Bhai Patel Nagar Ward
		46	Balgikhar Ward
		54	Prem Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	25	Rampur Ward
		33	Lalghat Ward
		40	Jamnipali Ward
5.	Other Backward Class	01	Ram Sagarpara Ward
		07	Sharda Vihar Ward
		09	Parivahan Nagar Ward
		10	Pumphouse Ward
		22	Manikpur Ward
		29	Balco Nagar-2 Ward
		37	Hasdeo-3 Ward
		42	Shakti Nagar-2 Ward
		51	Bankimongra-1 Ward
		57	Gevera-1 Ward
6.	Other Backward Class (Female)	03	Devanganpara Ward
		04	Purani Basti Ward
		15	Kashi Nagar Ward
		23	Kharmora Ward
		58	Gevera-2 Ward
7.	Female	02	Saket Nagar Ward
		08	Naibasti Ward
		13	C.S.E.B.-2 Ward
		21	Dr. Rajendra Prasad Nagar Ward
		26	Padimar-1 Ward
		28	Balco Nagar-1 Ward
		35	Hasdeo-1 Ward
		38	Hasdeo-4 Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-26/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पालिका दीपिका, जिला-कोरबा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	18	जवाहर लाल नेहरू वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	10	डा. राजेन्द्र प्रसाद नगर वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	04	मां समलाई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	03	मां मातिनदाई वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	02	शहीद भगत सिंह वार्ड
		05	डा. भीमराव अंबेडकर वार्ड
		08	डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	01	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
		15	बंकिम चंद्र चटर्जी वार्ड
7.	महिला वर्ग	06	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		11	वीर सांवरकर वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-26/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Municipal Council Deepika, Distt. Korba is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961),

as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	18	Jawahar Lal Nehru Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	10	Dr. Rajendraprasad Nagar Ward
3.	Scheduled Tribes	04	Maa Samlai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	03	Matin Dai Ward
5.	Other Backward Class	02 05 08	Sardar Bhagat Singh Ward Dr. Bhim Rao Ambedkar Ward Dr. Shyama Prasad Mukharjee Ward
6.	Other Backward Class (Female)	01 15	Shahid Veernarayan Singh Ward Bankimchandra Chartjee Ward
7.	Female	06 11	Sr. Vallabh Bhai Patel Nagar Ward Veer Savarkar Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-26/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत कटघोरा, जिला-कोरबा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	03	अंबेडकर नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	12	सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	07	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	05	विवेकानंद नगर वार्ड
		08	शास्त्री नगर वार्ड
		10	गांधी नगर वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	09	तिलक नगर वार्ड
7.	महिला वर्ग	02	संजय नगर वार्ड
		14	भगत सिंह वार्ड
		15	इंदिरा नगर वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-26/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Katghora, Distt. Korba is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	03	Ambedkar Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil
3.	Scheduled Tribes	12	Sr. Vallabh Bhai Patel Nagar Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	07	Rani Laxmibai Nagar Ward
5.	Other Backward Class	05	Vivekanand Nagar Ward
		08	Shastri Nagar Ward
		10	Gandhi Nagar Ward
6.	Other Backward Class (Female)	09	Tilak Nagar Ward
7.	Female	02	Sanjay Nagar Ward
		14	Bhagat Singh Ward
		15	Indira Nagar Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-26/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत पाली, जिला-कोरबा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक (1)	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया) (2)	वार्ड क्रमांक (3)	वार्ड का नाम (4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	09	भीमराव अंबेडकर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)		निरंक
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	02	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	08	शहीद हेमू कालानी वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड
		06	महात्मा गांधी वार्ड
		14	शाकम्भरी देवी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	11	मां महामाया देवी वार्ड
7.	महिला वर्ग	01	सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड
		10	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		12	रानी दुर्गावती वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-26/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Pali, Distt. Korba is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	09	Dr. Bhimrao Ambedkar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)		Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Scheduled Tribes	02	Shahid Veer Narayan Singh Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	08	Shahid Hemu Kalani Ward
5.	Other Backward Class	04	Dr. Shyamaprasad Mukharjee Ward
		06	Mahatama Gandhi Ward
		14	Shakambhari Devi Ward
6.	Other Backward Class (Female)	11	Maa Mahamaya Devi Ward
7.	Female	01	Sr. Vallabh Bhai Patel Nagar Ward
		10	Rani Laxmi Bai Ward
		12	Rani Durgavati Ward

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-26/18/2009.—छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 11 एवं छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 29-ए के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षानुसार नगर पंचायत छुरीकला, जिला-कोरबा के आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :—

आरक्षित वार्डों की सूची

क्रमांक	वर्ग (जिसके लिए आरक्षण किया गया)	वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अनुसूचित जाति वर्ग	06	मानस नगर वार्ड
2.	अनुसूचित जाति वर्ग (महिला)	15	गुरु घासीदास वार्ड
3.	अनुसूचित जनजाति वर्ग	14	मां कोसगई वार्ड
4.	अनुसूचित जनजाति वर्ग (महिला)	05	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	रानी लक्ष्मीबाई वार्ड
		09	राजमाता यज्ञसेनी देवी वार्ड
		11	मां परमेश्वरी देवी वार्ड
6.	अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला)	12	संत कबीर दास वार्ड
7.	महिला वर्ग	10	संत फलाहारी वार्ड
		13	विवेकानंद वार्ड

Raipur, the 14th September 2009

NOTIFICATION

No. F-1-26/18/2009.—The List of the Reservation of Wards for Nagar Panchayat Churikala, Distt. Korba is published as required under Rule 7 of Chhattisgarh Nagar Palika (Reservation of Wards for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women) Rules, 1994 made under Section 11 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) & Section 29-A of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), as follows :—

LIST OF THE RESERVED WARDS

Sl. No. (1)	Reservation for Category (2)	Ward No. (3)	Name of the Wards (4)
1.	Scheduled Caste	06	Manas Nagar Ward
2.	Scheduled Caste (Female)	15	Guru Ghasi Das Ward
3.	Scheduled Tribes	14	Maa Kosgai Ward
4.	Scheduled Tribes (Female)	05	Shahid Veernarayan Singh Ward
5.	Other Backward Class	04	Rani Laxmi Bai Ward
		09	Rajmata Yaghya Saini Devi Ward
		11	Maa Parmeshwari Ward
6.	Other Backward Class (Female)	12	Sant Kabir Das Ward
7.	Female	10	Sant Phalahari Ward
		13	Vivekanand Ward

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमन्त पहारे, अतिरिक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.